न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2013-00047Ju2013-44 Mahendra etc Vs Satyanarayan etc

---

01. महेन्द्रसिंह परिहार पुत्र स्व. श्री जमनीराम परिहार, जाति माली, निवासी बांकिया बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर हाल मुख्य सड़क मगरा पूंजला जोधपुर।
02. दुर्गसिंह पुत्र स्व. श्री जगदीशसिंह
03. माणकसिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह
04. श्रीमती भगवती पत्नी स्व. श्री जगदीशसिंह

अपीलार्थी संख्या दो से चार सभी जाति माली निवासी बांकिया बेरा, पूंजला जोधपुर।

05. श्रीमती शांति पुत्री स्व. श्री जगदीशसिंह पत्नी श्री ब्रह्मसिंह गहलोत, निवासी भियांली बेरा, मण्डोर, जोधपुर।
06. भेरूसिंह पुत्र स्व. श्री जमनीराम
07. बालकिशन उर्फ बालूराम पुत्र श्री प्रभूसिंह
08. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री प्रभूसिंह
09. जशोदा पुत्री स्व. श्री प्रभूसिंह
10. चम्पालाल पुत्र स्व. श्री जमनीराम

अपीलार्थी संख्या छः सें ग्यारह सभी जाति माली निवासी बांकिया बेरा, पूंजला, जोधपुर।

11. श्रीमती राध पुत्री स्व. श्री जमनीराम, निवासी बारली चुतरावता, पूंजला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. सत्यनारायण पुत्र श्री नाथूराम, जाति माली, निवासी केयर ऑफ नथमल धारीवाल, धारीवालों का मौहल्ला, महामंदिर, जोधपुर।
02. श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री जमनीराम, पत्नी श्री हरिसिंह सांखला, जाति माली, निवासी माता का थान मंदिर के सामने, पूंजला, जोधपुर।
03. श्रीमती चुकिया पुत्री स्व. श्री जमनीराम, पत्नी श्री रूपसिंह जाति माली, निवासी- खोखरिया बेरा, मण्डोर जोधपुर।
04. श्रीमती निर्मला पत्नी स्व. श्री युधिष्टर, जाति माली
05. पवनदीप पुत्र स्व. श्री युधिष्टर, अवयस्क,
06. पायल पुत्री स्व. श्री युधिष्टर, अवयस्क, प्रत्यथी संख्या पांच व छः अवयस्क द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माता श्रीमती निर्मला पत्नी स्व. श्री युधिष्टर सभी जाति माली, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला जोधपुर।

07. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री जगदीशसिंह पत्नी श्री हेमाराम देवड़ा, जाति माली, निवासी टूंट की बाड़ी, नागौर रोड़ जोधपुर।
08. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. श्री जगदीशसिंह पत्नी स्व. श्री चैनसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी सरकार बेरा पूंजला जोधपुर।
09. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री दौलाराम, निवासी दौलतसागर बेरा, पूंजला जोधपुर।
10. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री रामाराम, निवासी रामसागर चौराहा के पास, परिहार नगर जोधपुर।
11. श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्री ब्रह्मासिह,
12. रवि पुत्र स्व. श्री ब्रह्मसिंह
13. प्रकाश पुत्र स्व. श्री ब्रह्मसिंह
14. कैलाश पुत्र स्व. श्री ब्रह्मसिंह
15. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदनसिंह
16. श्रीमती मीना देवी पुत्री स्व. श्री मदनसिंह पत्नी श्री अशोक गहलाते, प्रत्यर्थी संख्या ग्यारह से सोलह सभी जाति माली, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला, जोधपुर।
17. श्रीमती योगिता पुत्री स्व. श्री मदनसिंह पत्नी श्री महेन्द्र देवड़ा, जाति माली, निवासी मगरा, पूंजला, जोधपुर।
18. अनिता पुत्री स्व. श्री मदनसिंह पत्नी श्री राजेन्द्र देवड़ा, जाति माली, निवासी पावटा सी रोड़ जोधपुर।
19. श्रीमती विघा देवी पुत्री स्व. श्री रामाराम
20. श्रीमती चंदू देवी पुत्री स्व. श्री रामाराम
21. सुनिल पुत्र स्व. श्री संतोषसिंह
22. श्रीमती अरुणा देवी पत्नी स्व. श्री संतोषसिंह
23. जेठूसिंह पुत्र श्री कानसिंह
24. अवधेश पुत्र स्व. श्री भंवरलाल
25. प्रेमलता पुत्री स्व. श्री भंवरलाल
26. कुसुम पुत्री स्व. श्री भंवरलाल
27. शशि पुत्री स्व. श्री भंवरलाल
28. सूरजकुमार पुत्र स्व. श्री शंकरलाल
29. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री शंकरलाल
30. हुक्मसिंह पुत्र स्व. श्री शंकरलाल
31. विमला पुत्री स्व. श्री गणपतसिंह
32. उर्मिला पुत्री स्व. श्री गणपतसिंह
33. छंवरलाल पुत्र स्व. श्री अमराराम
34. हुक्म सिंह पुत्र श्री अमराराम
35. सीताराम पुत्र स्व. श्री अमराराम
36. भींवराज पुत्र स्व. श्री अमराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

37. श्रीमती मंजू पत्नी स्व. श्री पन्नालाल
38. विकास पुत्र स्व. श्री पन्नालाल अवयस्क
39. मनीष पुत्र स्व. श्री पन्नालाल अवयस्क
40. सुलिया पुत्री स्व. श्री पन्नालाल अवयस्क
41. शेरसिंह पुत्र स्व. श्री रणजीतसिंह
42. श्रीमती तुलछी पत्नी स्व. श्री रणजीतसिंह
43. खींवराज पुत्र स्व. श्री मोडाराम
44. शक्तिसिंह पुत्र स्व. श्री मोडाराम
45. बद्रीलाल पुत्र स्व. श्री मोडाराम
46. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री मोडाराम
    सभी जाति माली, निवासी बांकिया बेरा पूंजला, जोधपुर।
47. श्रीमती मोनिका सोलंकी पत्नी श्री रामसिंह जाति माली निवासी पदाला बेरा, मण्डोर जोधपुर।
48. श्रीमती किरण कंवर पत्नी स्व. श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत, निवासी- 17-18 सेटेलाईट अस्पताल रोड़, नयापुरा मण्डोर, जोधपुर।
49. श्रीमती गोदावरी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र परिहार, जाति माली, निवासी महामंदिर जोधपुर।
50. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री शक्तिसिंह परिहार, निवासी महामंदिर जोधपुर।
51. जयराम पुत्र श्री बालूराम जाति माली, निवासी रातियों की ढाणी, मण्डोर जोधपुर।
52. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला, जोधपुर।
53. गोविंदराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला, जोधपुर।
54. संतोष कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी, बांकिया बेरा, पूंजला जोधपुर।
55. अरुण परिहार पुत्र स्व. श्री छंवरलाल जाति परिहार, माली, निवासी बांकिया बेरा पूंजला जोधपुर।
56. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री अनिल गहलोत, जाति माली निवासी बांकिया बेरा पूंजला, जोधपुर।
57. श्रीमती शारदा पत्नी श्री रघुवीरसिंह सांखला, जाति माली निवासी बांकिया बेरा पूंजला, जोधपुर।
58. सुमनलता पत्नी श्री सुमेरसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी बांकिया बेरा पूंजला जोधपुर।
59. दौलतराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली,
60. झूमरलाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली
61. समुन्दरसिंह पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली प्रत्यर्थी संख्या 59 से 61 सभी निवासी पीपाड़ सिटी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

62. श्रीमती शशिकला राठौड़ पुत्री श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़
63. श्रीमती विमला सोलंकी पत्नी श्री सुभाषसिंह, जाति राजपूत, निवासी बांकिया बेरा पूंजला जोधपुर।
64. श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री चैनाराम टाक, जाति माली, निवासी पीपाड़ सिटी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
65. श्यामलाल कच्छवाहा पुत्र श्री तुलछाराम, जाति माली, निवासी नानड़ पीपाड़ रोड़, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
66. नरसिंहराम पुत्र श्री किशनाराम टाक, जाति माली, निवासी पीपाड़ शहर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
67. श्रीमती सुमनदेवी पत्नी श्री सम्पतलाल कच्छवाहा निवासी पीपाड़ शहर तहसील बिलाड़ा जोधपुर।
68. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री जितेन्द्रसिंह
69. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह, जाति माली, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला जोधपुर।
70. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री सत्यनारायण सोलंकी, जाति माली, निवासी बांकिया बेरा, पूंजला जोधपुर।
71. चैतनदास पुत्र श्री मनोहरदास जाति साद, निवासी मथानिया, तहसील औसियां जिला जोधपुर।
72. श्रीमती जयश्री पत्नी श्री जगलकिशोर, जाति माली, निवासी सोजती गेट थलियों का बास, जोधपुर।
73. जीवनराम रामस्नेही चेला पुरुषोतमदास रामस्नेही, निवासी रामधाम खेड़ापा, तहसील भोपालगढ, जोधपुर।
74. श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री दुर्गादान जाति रावल, निवासी चामू, हाउस के पीछे रौनक पब्लिक स्कूल के पास, कृषि मण्डी, जोधपुर।
75. बद्रीराम पुत्र श्री पदमाराम, जाति माली, निवासी रातियों की ढाणी, तहसील भोपालगढ, जोधपुर।
76. प्रेमाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति माली, निवासी गणेश मार्केट भोपालगढ जोधपुर।
77. अजयसिंह पुत्र श्री किशनसिंह भाटी, जाति रावणा रापजूत, निवासी 98, घांची कॉलोनी, भगत की कोठी, पीली टंकी के पास जोधपुर।
78. विशनसिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी रावजी की हवेली, जूनी बागर चौक जोधपुर।
79. धन्नाराम भाम्बू पुत्र श्री घमण्डाराम, जाति जाट, निवासी मानसागर डावंरा, तहसील औसिंया जिला जोधपुर।
80. श्रीमती अरुणा पत्नी श्री हुक्मसिंह परिहार, जाति माली, निवासीा पाली बाजार, महामंदिर जोधपुर।
81. प्रकाश दयया पुत्र श्री रामसिंहराम, जाति दर्जी निवासी केसुम्बला भाटिया, तहसील बायतू जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

82. पदसिंह टाक पुत्र श्री मानसिंह
83. श्रीमती गीता पत्नी श्री पदमसिंह जाति माली निवासी पांचबती चौराहा, रातानाडा जोधपुर।
84. श्रीमती उषा उर्फ भंवरी देवी पत्नी श्री घनश्याम जी, जाति दाधिच, निवासी ब्राह्मणों का बास, रणसीगांव, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर।
85. रामकरण टाक पुत्री श्री नेमीचंद जाति माली निवासी- डी- 44 कीर्ति नगर मुख्य रोड़ पूंजला, जोधपुर।
86. श्यामलाल भाटी पुत्र श्री किरताराम भाटी जाति माली, निवासी बुचेटी तहसील भोपालगढ, जोधपुर।
87. सुरेश गहलोत पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति माली, निवासी नवोड़ा बेरा, माता का थान, पूंजला जोधपुर।
88. भीरमराम पुत्र श्री गुणेशराम, जाति माली, निवासी नोकड़ा बेरा, नानण, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर हाल नांगलबास पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
89. गोविंदराम शर्मा पुत्र श्री नेनूराम जाति ब्राह्मण निवासी मालियों की ढाणी, गंगाणी तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
90. कालूसिंह पुत्र श्री भंवरलाल परिहार
91. सम्पतसिंह पुत्र श्री भंवरलाल
92. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री चुन्नीलाल, जातियान् माली निवासी रावला बेरा, मगरा पूंजला जोधपुर।
93. श्रीमती सुदेश शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार, जाति ब्राह्मण निवासी स्कूल खेल मैदान के पास, स्वरूपगंज, जिला सिरोही।
94. प्रेमनाथ पुत्र श्री भभूतनाथ, जाति नाथ, निवासी बोड़ियावाला बेरा, पूंजला जोधपुर।
95. अमृतलाल शर्मा पुत्र श्री रामाकिशन जाति ब्राह्मण, निवासी विधानगर, भदवासियां जोधपुर।
96. जितेन्द्र चौहान पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति माली, निवासी जूनी बागर, अंतिम गली, सेंट मेरी स्कूल के पास, महामंदिर जोधपुर।
97. प्रकाशराम पुत्र श्री भागूराम, जाति माली, निवासी बागोरियां तहसील भोपालगढ जोधपुर।
98. श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री दुर्गाराम देवड़ा जाति माली, निवासी टूंट की बाड़ी, नागौर रोड़ जोधपुर।
99. रमेश पुत्र श्री गोपाराम, जाति माली, निवासी भेड़ बेरा, दईजर, जिला जोधपुर।
100. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 15 अप्रैल 2013 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2012 महेन्द्रसिंह परिहार व अन्य बनाम कमला इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री रणजीत सिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या एक सौ

नि र्ण य

दिनांक : 02 नवंबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2012 महेन्द्रसिंह परिहार बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 03 मई' 2013 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन ने एक राजस्व वाद सांख्या 88/2012 विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में घोषणा खातेदारी व भूमि विभाजन के लिए इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पूंजला तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 113/1, 110, 113, 109, 111, 111/1, 112, 114, 115, 108, 106, 107, 107/1, 107/2 कुल रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा के 1/4 हिस्से के उनके पिता स्व. श्री जमनीराम खातेदार काश्तकार थे, जमनीराम जी के हिस्से में वादीगण का 1/3 हिस्सा है, भूमि सामलाती खातेदारी की है, जिसका आज दिन तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वर्गीय जमनीराम ने उपरोक्त भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1/8 हिस्से के खातेदार आसुजी पुत्री सूरजमलजी से उनका हिस्सा खरीद कर लिया, जिसमें भी वादीनीगण का हिस्सा है। जमनीराम जी के पांच लड़के व तीन लड़कियां वारिस खातेदार है। इस प्रत्येक का 1/24 हिस्सें में सें प्रत्येंक का 1/8 हिस्सा बनता है, उक्त भूमि के उपरोक्त हिस्से पर वादीनीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसका विभाजन माप व सीमांकन के आधार पर किया जावें। वादीनीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखल नहीं करे, इसके लिए वादीगण को शाश्वत निषेधाज्ञा दिलाई जावे। यह वाद अभी भी विचाराधीन है। वादीनीगण ने उपरोक्त वाद के लंबित रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.04.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विशेष भू-भाग का बैचान हस्तांतरण रोके जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसको अपास्त करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या एक/प्रतिवादी संख्या 108 अजनबी खरीददार ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरुद्ध बिना किसी न्यायसंगत कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाये जाने का दिनांक 15 अप्रैल 2013 को आदेश दे दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक अजनबी खरीददार है तथा विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अजनबी खरीददार को बिना विभाजन प्राप्त किये किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा विवादित भूमि आज भी संयुक्त खातेदारी की है तथा सम्पूर्ण रकबे के विभाजन का वाद विचाराधीन है तब अजनबी खरीददार को विशेष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भू-भाग भूखण्ड पर से अस्थाई निषेधाज्ञा हटाने का आदेश कतई विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक दावा प्रस्तुत होने से पूर्व से दिनांक 23.08.2010 से खरीद होना मानकर पूर्व की अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.04.2012 से प्रभावी होना नहीं मानने में भारी भूल की गई है। इसमें निवेदन करना है कि उक्त भूखण्ड के विरुद्ध भी विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तब अजनबी खरीददार को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त नही किया जा सकता, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में चल रही थी, जिसमें सभी प्रतिवादीगण की तामील होकर जवाब नही आया है तथा उक्त तामीलीय स्तर पर पूर्व के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को हटाने का कोई आधार नहीं था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या एक को विवादित भूमि को बिना विभाजन करवाये आगे से आगे भूखण्डों में टूकड़े करके बैचने की व निर्माण आदि करने की विशेष कीमती भू-भाग की छूट प्रदान कर दी है, जो आदेश शेष पक्षकारान्के विरुद्ध अन्यायपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या एक अजनबी खरीददार है, जो किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से मुक्ति प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को बीच रास्ते में ही संशोधन करने, हटाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा पर सम्पूर्ण आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश एक न्यायालय के abuse of process ग्रसित होने के कारण निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2013 को निरस्त किये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश फरमावें तथा प्रत्यर्थी संख्या एक तथा समस्त अनजवी खरीददार प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने, निर्माण करने, भूखण्ड काटने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश फरमावें तथा पूर्त की एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा सभी पक्षकारान को सुनवाई का मौका देकर निस्तारण किये जाने हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या एक जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है, इस प्रकार एक काबिज व्यक्ति व अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध कानूनी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से 17 ने मिलीभगत कर, प्रतिवादी संख्या 108 तथा अन्य समान लोगों को, जो कि सद्भाविक क्रेता है तथा जिन्होंने बाजार मूल्य अदा कर, भूमि को क्रय किया है, को परेशान करने की नियत से यह वाद दायर किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 18.04.2012 को विधिसम्मत रूप से संशोधित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से काबिले खारिज है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेंट संख्या तीन के अधिवक्ता ने निवेदन किया वादीगण स्व. जमनीराम के वारिसान् है। उन्होंने स्व. जमनीराम के विवादग्रस्त भूमि में निहित 1/4 हिस्से में निहित क्रमशः 1/8-1/8 हिस्से के विभाजन की मांग की है। अतः स्व. जमनीराम के हिस्से की भूमि को संरक्षित किया जाने का आदेश फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरुप निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीनीगण/प्रार्थीगण ने स्वयं को स्व. जमनीराम की पुत्रियां बताते हुए विवादग्रस्त आराजी में स्व. जमनीराम के 1/4 हिस्से में निहित अपने विरासतन 1/8-1/8 हिस्से के विभाजन एवं शाश्वत निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 18.04.2012 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित कर प्रार्थीगण के नाम दर्ज विवादग्रस्त भूमि के बेचान/हस्तारण न करने का आदेश पारित किये गये। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का जवाब प्रस्तुत किया कि स्थगन आदेश अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया रेस्पोडेंट संख्या एक ने विवादित भूमि के अन्य सहखातेदार काश्तकार से खसरा नं. 109 में से प्लॉट नं. 3 के रकबा 138.88 वर्गगज भूमि खरीदी है। उक्त भूमि दिनांक 23.08.2010 को क्रय की गई है। उक्त वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2012 को प्रस्तुत किया गया है, विवादग्रस्त भूमि में 109 से अधिक खातेदार दर्ज है। अन्य खातेदारों के नाम दर्ज भूमि पर उक्त स्थगन आदेश लागू हो जाने से वे भूमि पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते है, जिसे स्थगन आदेश से मुक्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2013 के जरिये पूर्व स्थगन आदेश को संशोधित कर विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्से को स्थगन से प्रभावित रखा, जो कानूनन विधिसम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2012 महेन्द्रसिंह परिहार बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर उत्तर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की सम्यक तामील पश्चात उभय पक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को उपस्थित रहे। तब तक स्व. जमनीराम के वारिसान को पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि के 3/32 हिस्से का बेचान हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर